हाईकोर्ट ने डॉ. बलराज सिंह को वीसी पद से निलंबन का आदेश रद्द किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के वीसी पद से डॉ. बलराज सिंह को निलंबित करने वाले गत 7 अक्टूबर के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कुछ पाबंदियों के साथ याचिकाकर्ता को वीसी पद ग्रहण करने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता बतौर कुलपति कोई निर्णय नहीं लेंगे।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले में जब तक जांच रिपोर्ट चांसलर के समक्ष पेष होकर उस पर निर्णय नहीं हो जाए, तब तक किसी भी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया जाए। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. बलराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **जांच रिपोर्ट पर चांसलर का फैसला आने तक किसी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा**

याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया और अधिवक्ता अरिहंत समदडिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को कृषि विश्वविद्यालय के वीसी पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद पर उसका कार्यकाल 15 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो रहा है। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए निलंबित कर दिया गया कि उसने पाबंदी के बावजूद अपने कार्यकाल के अंतिम तीन माह में नीतिगत निर्णय लिए।

याचिका में कहा गया कि कार्यकाल समाप्ति से सिर्फ सात दिन पहले उसे निलंबित कर दिया गया, ताकि कुलपति के रूप में पुन: नियुक्ति के लिए उन्हें अयोग्य ठहराया जा सके। याचिका में कहा गया कि विवि प्रशासन ने गत 14 अगस्त को विज्ञापन जारी कर नए कुलपति के लिए आवेदन मांगे। जिसमें याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया है। वहीं चयन समिति ने गत एक अक्टूबर को अपनी अंतिम बैठक कर 4 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। याचिकाकर्ता को विश्वास है कि रिपोर्ट में उसके नाम को भी नियुक्ति के विचारार्थ शामिल किया गया है।

याचिका में कहा गया कि विवि के साल 2013 के अधिनियम की धारा 25 ए के तहत निलंबन से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श जरूरी है। इसके बिना किसी भी कुलपति को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसी धारा के तहत संबंधित कुलपति को सुनवाई का मौका देना भी जरूरी है। जबकि याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश में राज्य सरकार से परामर्श लेने का उल्लेख नहीं है और ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया। वहीं निलंबन आदेश में निराधार और अस्पष्ट कारण बताए गए हैं। इसलिए उसके निलंबन आदेश को रद्द किया जाए।

निजी बस ने मां को कुचला,बेटा घायल

जयपुर। करधनी इलाके में एक प्राइवेट बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर से स्कूटी सवार महिला और उसका बेटा सड़क पर गिर गए। जहां बस के नीचे कुचलने से महिला की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद परिजन सड़क पर ही महिला के शव को लेकर धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया।

सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर को करधनी इलाके में बस की चपेट में आने से स्कूटी बेकाबू होकर गिर गई। स्कूटी पर सवार महिला वैजयंती देवी की बस के नीचे कुचलने से मौत हो गई। स्कूटी चला रहा बेटा नितिन को भी नीचे गिरने से चोट लगी। करधनी व कालवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। परिजन शव लेकर सड़क पर बैठ गए, जिन्हें समझाइश कर शांत कराया।

प्रताप नगर में बिना रोड कट की अनुमति खोद डाली मुख्य सड़क

हाऊसिंग बोर्ड के इंजीनियर और ठेकेदार फर्म का कारनामा

जयपुर (कासं)। प्रताप नगर क्षेत्र में हाऊसिंग बोर्ड के इंजीनियर और ठेकेदार ने ग्रेटर नगर निगम प्रशासन से रोड कट की मंजूरी लिए बिना ही मुख्य सड़क खुदवा दी। लोगों की शिकायत पर वार्ड 115 के पार्षद विनोद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर ठेकेदार से रोड कट की परमिशन दिखाने को कहा तो वह झेंप गया। इसके बाद आवासन मंडल के इंजीनियर रामनिवास सिंघल ने ग्रेटर निगम कमिश्नर से इसकी मौखिक स्वीकृति लेने की बात कही, जिस पर पार्षद ने आयुक्त से बात करवाने को कहा तो उन्होंने भी आनाकानी कर दी।

इसी बीच जब पार्षद विनोद शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी ग्रेटर निगम के सांगानेर जोन के अधिशाषी अभियंता बृजेश गर्ग से मांगी तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि, रोड कट की ऐसी कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। इस घटनाक्रमा के बाद स्थानीय लोगों की नाराजगी और बढ़ गई, जिसके बाद सड़क खोदने वाली फर्म पी.एम. कंस्ट्रक्शन के लोग मौके से भाग छूटे।

सूत्रों ने बताया कि प्रताप नगर सेक्टर 16 व 17 में करीब डेढ़ से 2 किलोमीटर दूरी में हाऊसिंग बोर्ड के ठेकेदार द्वारा सड़क खोदकर पानी की लाइन डालने काम किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो रात के अंधेरे में यह कारनामा हुआ, परंतु मंगलवार दोपहर में जब सड़क की खुदाई पुन: शुरू हुई तो लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए स्थानीय पार्षद विनोद शर्मा को मौके पर बुलाया। पार्षद ने जे.सी.बी. मशीन से खुदाई कर रहे पी.एम. कंस्ट्रक्शन के लोगों से रोड कट की परमिशन दिखाने की बात कही। पहले तो ठेकेदार फर्म ने आनाकानी शुरू कर दी, इसके बाद पार्षद की बात इंजीनियर रामनिवास सिंघल से करवायी गई। पार्षद विनोद शर्मा ने बताया कि, इंजीनियर सिंघल ने इस रोड खुदाई की स्वीकृति ग्रेटर निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी से लेने की बात कही। जिस पर पार्षद ने कहा कि या तो आप मुझे स्वीकृति दिखाओ, अगर कमिश्नर की मौखिक स्वीकृति की आप बात कह रहे तो मैं अभी पुलिस थाने में जाकर एफ.आई.आर. दर्ज करवाता हूं। इसी बीच ग्रेटर निगम के सांगानेर जोन के इंजीनियर भी मौके पर पहुंच गए और तुरंत काम बंद करवाया।

- **लोगों की शिकायत पर पार्षद विनोद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर रोड कट की परमिशन मांगी तो आवासीय अभियंता ने ग्रेटर निगम आयुक्त से मौखिक मंजूरी मिलने की बात कही, नाराजगी के बाद काम बंद हुआ**
- **जबकि ग्रेटर निगम के अधिशाषी अभियंता बृजेश गर्ग ने भी साफ मना किया है कि, उन्होंने कोई भी रोड कट की परमिशन इस काम के लिए नहीं दी**

पार्षद विनोद शर्मा का कहना है कि, हाऊसिंग बोर्ड प्रशासन ने जानबूझकर ग्रेटर निगम प्रशासन से रोड कट की मंजूरी नहीं ली, क्योंकि अगर ठेकेदार फर्म ग्रेटर निगम से रोड कट की परमिशन लेता तो उसे करीब 5 से 10 लाख रु. नगर निगम प्रशासन को चुकाने पड़ते। परंतु हाऊसिंग बोर्ड के इंजीनियर और ठेकेदार के गठजोड़ ने रातोंरात यह सड़क खुदवा दी। यह सरासर भ्रष्टाचार है। विनोद शर्मा ने कहा कि, दीपावली का त्यौंहार सिर पर है, एक तरफ तो टूटी सड़कों को ठीक करवाया जा रहा है, दूसरी तरफ ठेकेदार और इंजीनियर्स मिलकर बनी-बनाई सड़कों को तोड़ रहे है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। अगर रोड कट की मंजूरी नहीं ली जाती है तो किसी सूरत में सड़क में गडढ़े नहीं करने दिए जाएंगे। इस प्रकरण में जब ग्रेटर निगम के अधिशाषी अभियंता बृजेश गर्ग से बात की गई तो उन्होंने भी साफ मना किया है कि, रोड कट की कोई परमिशन उन्होंने नहीं दी है। हालांकि विवाद होने के बाद निगम टीम ने काम बंद करवा दिया है।

नियम बनने तक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के निर्माण, बिक्री और आयात पर रोक

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फूड यानि आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए केन्द्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को छह माह में विस्तृत नियम बनाने और उन्हें लागू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने नियम नहीं बनने तक किसी भी जीएम फूड के निर्माण, बिक्री, वितरण और आयात की मंजूरी नहीं देने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आयात होने वाले हर फूड के लिए जीएम फ्री प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश कृतेश ओसवाल व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। खंडपीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि खाद्य उत्पादों में जेनेटिकली मोडिफाइड का मामला एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने अभी तक प्रासंगिक नियमों को ही अंतिम रूप नहीं दिया है और ना ही इन्हें अधिसूचित ही किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सुरक्षित भोजन का अधिकार भी शामिल है। खाद्य सुरक्षा को केवल एक नियामक या बाजार के मुद्दे के तौर पर नहीं देख सकते। खंडपीठ ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के नियम 6 के उपनियम 7 को बरकरार रखा है। इसके तहत जीएम खाद्य पदार्थों पर जीएम लेबल लगाना अनिवार्य होता है। खंडपीठ ने कहा कि यह नियम उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के लिए जरूरी है। वहीं खंडपीठ ने देश के सभी बंदरगाहों और सीमा शुल् क अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे विदेश से आने वाले कोई भी खाद्य सामान को तभी भारत में दाखिल करें, जब उसके साथ निर्यातक देश की ओर से जारी जीएम फ्री प्रमाण पत्र हो।जनहित याचिका में याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत जीएम खाद्य पदार्थों के लिए नियम बनाने का स्पष्ट प्रावधान है। इसके बावजूद 19 साल बीतने के बाद भी अभी तक नियम नहीं बने हैं। वहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैजल कमेटी ने 2007 से 2015 के बीच जीएम खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी गई थी। इसलिए जब तक इनके लिए प्रभावी नियम बनकर उन्हें लागू नहीं किया जाए, तब तक देशभर में जीएम फूड पर रोक लगाई जाए।

'टोंक रोड का नाम भैरोंसिंह शेखावत मार्ग अविलंब रखा जाए'

जयपुर। ग्रेटर उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने कहा कि नगर निगम की कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि रामबाग सर्किल से लेकर नगर निगम सीमा तक टोंक रोड का नाम भैरों सिंह शेखावत मार्ग रखा जाए। यह निर्णय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरों सिंह शेखावत जी की स्मृति को समर्पित है।

उपमहापौर ने कहा कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में यह कहते हुए विलंब किया जा रहा है कि राज्य सरकार के 31 अगस्त 2000 के नोटिफिकेशन के अनुसार नामकरण से पूर्व संभागीय आयुक्त से अनुमति आवश्यक है, जबकि यह तर्क पूरी तरह निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 अगस्त 2000 का नोटिफिकेशन मात्र प्रशासनिक दिशा-निर्देश है।

प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के साथ सड़कों की मरम्मत के निर्देश

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने व प्रत्येक असुविधा को दूर कर जीवन, रोजगार व अन्य अवसर आसान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

इसी क्रम में राज्य के सभी 41 जिलों में वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों, राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों एवं शहरी सड़कों की स्थाई मरम्मत के 1592 कार्य के लिए 798.80 करोड़ की वित्तीय सहमति प्रदान की है। पूर्व में देखा गया है कि वर्षा के समय सड़कों की हालत जर्जर हो जाती है जिससे आमजन को सड़क धसंने, गड्ढे होने, यातायात साधनों का बंद हो जाना, जल भराव, दुर्घटना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इनकी समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो। इस राशि से सड़कों की मरम्मत इस प्रकार की जाएगी कि भविष्य में सड़कें जल्दी खराब नहीं होगी, सड़कों पर जल भराव नहीं होगा और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी।

- **वित्त विभाग ने 1592 कार्यों के लिए 799 करोड़ रु. स्वीकृत किए**

डीओआईटी के पूर्व संयुक्त निदेशक के खिलाफ प्रसंज्ञान रद्द करने से इनकार

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी में मिली दो करोड रुपए से अधिक नकदी और एक किलोग्राम सोने से जुड़े ईडी मामले में डीओआईटी के तत्कालीन संयुक्त निदेशक आरोपी वेद प्रकाश यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अलमारी में राशि और सोना रखते समय अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा था। ऐसे में अभियोजन स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं थी। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश वेद प्रकाश यादव की याचिका को खारिज करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि ईडी मामलों की विशेष अदालत ने उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा कि मामले में अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है। जबकि राज्य सरकार कर्मचारी के खिलाफ बिना अभियोजन स्वीकृति लिए बिना अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में ईडी कोर्ट के 21 मार्च, 2024 के प्रसंज्ञान आदेश को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि डीओआईटी कार्यालय की अलमारी में भारी मात्रा में नकदी और सोने की ईंट रखने का कृत्य आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया कार्य नहीं है। ऐसे में इसके लिए अभियोजन स्वीकृति की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।

- **योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी में 2 करोड रुपए से अधिक की नकदी और 1 किलो सोना मिलने का मामला**

गौरतलब है कि 19 मई, 2023 को योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी से 2.31 करोड़ रुपए की नकदी और एक किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। प्रारंभिक जांच के बाद डीओआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने अलग से प्रकरण दर्ज कर वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया था।

वैश्य फैडरेशन एक नवंबर को देगा दीपावली सजावट पुरस्कार

जयपुर (कासं)। अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य फैडरेशन राजस्थान दीपावली सजावट पुरस्कार 1 नवंबर को दिए जाएंगे। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े होंगे। यह जानकारी राज्य प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष एन. के. गुप्ता, प्रदेश महामंत्री गोपाल गुप्ता और प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश कालानी ने दी है। उन्होंने बताया कि व्यापारिक संगठनों ने इस वर्ष पहली बार 18 से 23 अक्टूबर तक छह दिन की सजावट करने की घोषणा की है।

अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य फैडरेशन राजस्थान के प्रदेश प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष एन. के. गुप्ता, प्रदेश महामंत्री गोपाल गुप्ता और प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश कालानी ने मंगलवार को प्रैसवार्ता की।

- **18 से 23 अक्टूबर तक दीपावली की तक सजावट होगी**

ध्रुवदास अग्रवाल ने बताया कि संस्था द्वारा पिछले 4 वर्षों से दीपावली के अवसर पर जयपुर के बाजारों की विश्व प्रसिद्ध सामूहिक लाइटिंग व सजावट के लिए व्यापारिक संगठनों, मॉल्स के प्रतिनिधियों एवं दुकानदारों को सर्वश्रेष्ठ सजावट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अग्रवाल ने सभी लोगो से अपील की है कि स्वदेशी अपनाए व देश को मजबूत बनाये। सभी आवश्यक सामान स्वदेशी खरीदे जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो व देश में विकाश हो। दीपावली पर सजावटी सामान, दीपक व अन्य उपयोगी सामान सड़क किनारे बैठकर बेचने वाले लोगो से खरीदे, जिससे उनके घर भी दीपावली खुशी से मनाई जा सके। ध्रुवदास अग्रवाल ने कहा कि, यह जयपुरवासियों के लिए गर्व का विषय है कि शहर की विश्व प्रसिद्ध सामूहिक दीपावली सजावट को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटकों का आगमन प्रारंभ हो चुका है। अधिकांश होटल पूर्ण रूप से बुक हो चुके है।

प्रदेश अध्यक्ष एन. के. गुप्ता और प्रदेश महामंत्री गोपाल गुप्ता व प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेश कालानी ने बताया कि जयपुर को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें चार दिवारी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र (पूर्व) तथा बाहरी क्षेत्र (पश्चिम) रखे गए है। तीनों क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ बाजार, प्रतिष्ठान एवं मॉल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सजावट के चयन हेतु तीन संयोजक नियुक्त किए गए हैं।

दुपहिया वाहन चुराने वाला गिरफ्तार

जयपुर। संजय सर्किल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चोरी करने वाले एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक चोरी का दुपहिया वाहन भी बरामद किए गए है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी उमेश बेनीवाल ने बताया कि दुपहिया वाहन चुराने वाले शातिर वाहन चोर मोहम्मद शाहिद कुरैशी उर्फ शानू निवासी शास्त्री नगर जयपुर को गिरफ्तार किया है।

35 लाख रु.के जेवर लूटने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। हरमाड़ा थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को दिन दहाडे पैंतीस लाख रुपये के जेवरात लूट मामले में कार्रवाई करते हुए सात बदमाशों को धर-दबोचा है और उनके पास से लूटे गए पैंतीस लाख रुपये के जेवरात भी बरामद किए गए है।

पुलिस की प्रारम्भिक पूछताछ में सामने आया कि इस लूट की वारदात में शामिल एक आरोपी पीड़ित का परिचित है,जिसने ही इस पूरी लूट की वारदात की योजना बनाई थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पश्चिम)हनुमान प्रसाद ने बताया कि हरमाड़ा थाना पुलिस ने 11 अक्टूबर को बालाजी कॉलेज सामने गणेश नगर में ज्वैलर्स प्रितेश वर्मा निवासी मुरलीपुरा के साथ हुई लूट की वारदात करने वाले अमित जांगिड़ उर्फ बिट्टू (38) निवासी मुरलीपुरा जयपुर, जयवर्धन सिंह जोधा उर्फ जेपी (24) निवासी हरमाडा जयपुर,लक्ष्य वर्मा (18) निवासी झोटवाड़ा हाल खोराबीसल जयपुर, अजय यादव उर्फ अज्जू (18) निवासी शाहपुरा जयपुर ग्रामीण हाल करधनी जयपुर,अध्ययन राजावत उर्फ मोनू(19) निवासी झोटवाड़ा हाल विधाधर नगर जयपुर,नवीन शर्मा (20)निवासी करधनी जयपुर हाल विद्याधर नगर जयपुर और देव राज सिंह(19) निवासी विधाधर नगर जयपुर को गिरफ्तार कर लिया हैं।

'अस्पतालों में फायर सेफ्टी और सुरक्षा प्रबंध पुख्ता हो'

अगर कहीं पर लापरवाही मिली तो संस्थान प्रभारी जिम्मेदार होंगे : चिकित्सा मंत्री

जयपुर । चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में रोगियों एवं उनके परिजनों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अधिकारी सभी चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। अगर किसी भी चिकित्सा संस्थान में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कमी मिली तो संबंधित प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा।

चिकित्सा मंत्री मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा प्रबंध, मौसमी बीमारियों, मानव संसाधन, जांच, दवा एवं उपचार की व्यवस्थाओं सहित अन्य विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ले रहे थे। मंत्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि विगत दिनों एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में हुई आग की घटना बेहद दु:खद है। ऐसी घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। प्रदेश के शत-प्रतिशत चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित की जाए। न केवल राजकीय बल्कि निजी चिकित्सा संस्थानों में भी फायर सेफ्टी नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो।

खींवसर ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण क्रियाशील हों और इस स्थिति में हों कि आवश्यकता होने पर उनका उपयोग किया जा सके। प्रभारी अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। समय-समय इन उपकरणों की टेस्टिंग की जाए। साथ ही, अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल भी की जाए। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में इस वर्ष फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुई है, वे तत्काल कराएं। कहीं भी सुरक्षा प्रबंध को लेकर बजट आदि की आवश्यकता है तो प्रस्ताव विभाग को भिजवाएं। चिकित्सा मंत्री ने सख्त हिदायत दी कि ऐसे चिकित्सक जो नॉन प्रेक्टिस अलाउंस ले रहे हैं, वे प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करें। अगर कहीं ऐसा मिलता तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बारिश थमने के बाद विगत दिनों में मौसमी बीमारियों के केस बढ़ने लगे हैं। अधिकारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया व स्क्रब टायफस सहित अन्य मौसमी बीमारियों की स्थिति पर निगरानी रखें। सभी जगह जांच, दवा एवं उपचार के माकूल इंतजाम रखे जाएं। जहां केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए।

- **एन.पी.ए. लेने के बाद भी प्रेक्टिस करने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई**

विश्व हिंदू परिषद् के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फोन पर धमकी

जयपुर। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता को धमकी वाला कॉल आने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह कॉल दुबई के नम्बर से आया है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से गांधी नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक ने मामला दर्ज करवाया है कि उन्हे दुबई के नम्बर से कॉल आया था और कॉल करने वाले ने गंदे शब्दों में पहले बात की। इसके बाद कहा कि मीडिया चैनल पर जाकर जो गलत बोलते हो। अगर यह जारी रहा तो वह गलत होगा। जिस के बाद अमितोष ने कहा कि वह ऐसा क्या बोला जो आप धमकी दे रहे हैं तो फोन करने वाले ने कहा कि मुझे तेरी गर्दन चाहिए। फोन कर्ता ने प्रवक्ता के सेलफोन पर भी कई मैसेज कर के धमकी दी हैं। जिस पर पीड़ित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जिस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टेररिस्ट एक्ट में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की गई। जिस नम्बर से फोन आया उस की डीपी पर एक फोटो लगा हैं इस बात की पुष्टि की जा रही है कि यह फोटो धमकी देने वाले की ही है या किसी और से फिलहाल जिन नंबरों से कॉल आया था उन नंबरों के आईपी एड्रेस पता करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक:- एफ-18()सि.ला.जो./उपा./नगिजहै/2025/1848

अनापत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक-13/10/2025

भूखण्ड संख्या 37 वेन्कटेश्वर कॉलोनी सोडाला जयपुर का पट्टा क्षेत्रफल 200 व.ग. का नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा वर्ष 2022 मे श्री प्रमोद कुमार महेश्वरी पुत्र श्री वृज वल्लभ महेश्वरी के नाम से जारी है। तत्पश्चात श्री प्रमोद कुमार महेश्वरी पुत्र श्री वृज वल्लभमहेश्वरी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र: श्री रमेश करनानी व श्रीमती माथुरी करनानी को बेचान किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्धारित अण्डरटेकिंग, पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 व.ग. का पट्टा श्री रमेश करनानी व श्रीमती माथुरी करनानी के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को इस पट्टा बाबत में आपत्ति के प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा की किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म को कोई आक्षेप नही है। और मामले का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

विज्ञप्ति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-14/2025/डी- दि.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अलका सिंह पुत्री श्री हरदयाल सिंह, निवासी- निवाती फ्लैट नम्बर DWA/B-601 द्वारका अपार्टमेंट, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020 द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा बाहने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 254442 दिनांक 25.09.25 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	मूल लीज धारक	क्षेत्रफल	समिति का नाम /निजी खातेदारी /जविप्रा	योजना का नाम	प्रस्तुत दस्तावेज
1	अलका सिंह पुत्री श्री हरदयाल सिंह	ए - 398	श्री बृजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री केवल कृष्ण शर्मा	162.0 व.मी.	जविप्रा	सालिगराम पुरा	लीजडीड क्रमांक 29 दिनांक 21.09.200 को श्री बृजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री केवल कृष्ण शर्मा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.11.09, एवं रजिस्टर्ड उपहार पत्र 23.08.24 आदि दस्तावेजों के आधार पर।

अतः आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/व्यक्ति/हितधारक को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। **उपायुक्त जोन-14**

PUBLIC NOTICE

Jaipur National University (JNU) wishes to clarify that it had no collaboration with Brillianz Educational Group in the past. JNU requests all concerned stakeholders, including students, to take note that Brillianz Educational Group is not authorized to use the name of the University for any programs offered through Open and Distance Learning (ODL) and also had no such authorization for online modes in the past.This notice is issued in the interest of protecting the interest of all stakeholders.

Issued by: Jaipur National University
Date: 14.10.2025

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक:- एफ-18 ()सि.ला.जो./उपा./नगिजहै/2025/1846 दिनांक- 11/10/2025

अनापत्ति आमंत्रण सूचना

भूखण्ड न. 73 ए गौरव नगर सिविल लाईन्स जयपुर का पट्टा क्षेत्रफल 500 व.ग. का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती मिथिलेश कुमारी पत्नी श्री एच.पी कुच्छल को जारी किया गया है। कार्यालय आदेश क्रमांक **LSG/JAIPUR HERITAGE/MUT/2025-26/124762** दिनांक 23.05.2025 द्वारा श्री राहुल प्रकाश कुच्छल एवं श्रीमती वन्दना कुच्छल के नाम से जारी किया गया था दिनांक 02.07.2025 को श्री राहुल प्रकाश कुच्छल द्वारा श्रीमती वन्दना कुच्छल को उक्त भूखण्ड जरिये उपहार पत्र के माध्यम से दिया गया। निर्धारित अण्डरटेकिंग, उपहार पत्र, के आधार पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व.ग. का नाम हस्तानान्तरण श्रीमती वन्दना कुच्छल पत्नी श्री राहुल प्रकाश कुच्छल के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को इस नाम हस्तानान्तरण बाबत में आपत्ति के प्रकाशन तिथी से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा की किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म को कोई आक्षेप नही है। और मामले का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

उपायुक्त सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियंकाबहन जिग्नेशकुमार पटेल, निवासी खापरवाड़ा, जिला- नवसारी, गुजरात, ने भविष्य के लिए अपने पति के सर्विस रिकॉर्ड आर्मी नं-14677730Y में अपना नाम प्रियंकाबहन से बदलकर प्रियंकाबहन जिग्नेशकुमार पटेल कर लिया है। शपथ पत्र संख्या: 0